

## विज्ञप्ति

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
शासकीय गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट: [www. http://gmcbbhopal.net](http://gmcbbhopal.net)

फोन : 0755-4050000

क्रमांक 381...../अधि0/एन.एच.एम.(6)/2022

भोपाल, दिनांक : 21/01/2022

कोविड-19 महामारी ऑमिक्रॉन वेरियंट की रोकथाम हेतु गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच. आर/सेल-01/2022/216 भोपाल, दिनांक 10-01-2022 एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक की टीप पत्र क्रमांक 706/दिनांक 24-12-2021 पत्रों के संदर्भ में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को अस्थाई अतिरिक्त मानव संसाधन मासिक मानदेय पर नियुक्ति दिनांक 01-01-2022 से 60 दिवस (02 माह) तक रखने की अनुमति प्रदान की है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	योग्यता	कुल पद	मासिक मानदेय प्रतिमाह
1.	अन्य स्वास्थ्य कर्मी (सफाई कर्मी)	12वी पास/10 वीं उत्तीर्ण एवं अस्पताल का कार्य अनुभव।	40	कलेक्टर रेट
2.	वार्ड बॉय	12वी पास/10 वीं उत्तीर्ण एवं अस्पताल का कार्य अनुभव।	60	कलेक्टर रेट

पदों की भर्ती के लिये वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 25-01-2022 को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के गेस्ट हाउस में प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 02:00 बजे तक आयोजित किये जाएंगे।

इच्छुक उम्मीदवार वॉक इन इन्टरव्यू में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी, का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मूलनिवासी एवं जाति प्रमाण पत्र के मूलदस्तावेजों की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ ले कर आये।

पूर्व में जमा समस्त आवेदन इस विज्ञप्ति के लिये के मान्य नहीं होंगे। वॉक इन इन्टरव्यू से चयनित उम्मीदवार को तत्काल अधिष्ठाता कार्यालय तथा कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति देनी होगी।

दस्तावेज: अभ्यर्थी को, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जातिप्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार से दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में आपको पात्र नहीं माना जाएगा।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए आयु और वर्ग के मानक को शिथिल किया गया है। सभी 21 वर्ष से 60 वर्ष के आयु एवं वर्ग के पद अनुसार पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति अस्थायी

तथा अनुबंधित है। आवेदक को चयन के पश्चात् नियुक्ति के समय 500 रु के अनुबंध का व्यय स्वयं करना पड़ेगा। चयनित आवेदक नियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् संविदा या नियमित नौकरी के लिये पात्र नहीं माना जायेगा और न ही इसके लिये कोई दावा करेगा।

इस कार्यलय को बिना कारण बताये किसी भी समय यह विज्ञप्ति मे आशिक रूप में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिती में केवल न्यायालय भोपाल में परिषद हेतु मान्य रहेगा।

*Ans* 21/01/2022

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल